रक्षा मंत्रालय के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

1365. **मौलाना अबदुल्ला खान आजमी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौकरी के दौरान मारे गए रक्षा कर्मिकों के आश्रितों की ओर से नौकरी के लिए वर्ष 1989 में कितने निवेदन प्राप्त हुए ते तथा उनमें से कितने निवेदनों को स्वीकार किया गया और कितने निवेदनों को अस्वीकार किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भरतपुर शस्त्रागार से गायब हुई गोलियां

1366. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भरतपुर शस्त्रागार से कुछ गोलियां गायब पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) चोरी हुए माल को जब्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां ।

(ख) सैन्य प्राधिकारियों के आदेश पर बिठाई गई जांच अदालत ने ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में तीन कमीशन अफसरों और दो गैर-कमीशन अफसरों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की थी और गोला-बारूद डिपो भरतपुर के दो सिविलियन स्टोर कीपरों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की । इन अधिकारियों के नाम और उनमें से प्रत्येक के विरूद्ध की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है :—

नाम	की गई/की जा रही कार्रवाई
(1) कर्नल एम०ओ० डेनियम, कमाण्डेंट (2) लेफ्टि० कर्नल (अब कर्नल) एस०एस० पठानिया—पूर्व उप कमाण्डेंट (3) कैप्टन (अब मेजर) राजिन्द्र सिंह—पूर्व सब-डिपो कमाण्डर	उन के कार्य के प्रति रिकार्ड में दर्ज करने योग्य भारी अप्रसन्नता
(4) हवलदार ए टी के जी मण्डल (5) हवलदार/एस के टी (म्युनेशन) एकबाल सिंह राणा	कठोर भर्त्सना
(6) आर पी व्यास, स्टोर कीपर सब-डिपो (7) शिव स्वरूप शर्मा, स्टोर कीपर सब-डिपो	अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है।

(ग) जांच अदालत खोए हुए गोला-बारूद को बरामद कराने के संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकी ।